गुजरात में नारियल के तेल के मूल्यों को नियंत्रित करना

1156 **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 1990 के "टाइम्स आफ़ इण्डिया" में "एन.डी.डी.बी., गुजरात गवर्नमेन्ट आन कोलीसिन कोर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गुजरात में नारियल के तेल के मूल्यों में वृद्धि के समय राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने अपने भण्डार से नारियल का तेल बाजार में उचित मूल्य पर बेचकर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संस्थान के कार्यकरण के संबध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को बाजार हस्तक्षेप एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूंगफली और सरसों के तेल की कीमतें मूल्य बैन्ड के भीतर ही बनी रहें। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, मूल्यों को संतुलित बनाए रखने के लिए गुजरात में उपभोक्ताओं को सीधे ही डिब्बा बन्द तेल का भारी मात्रा में विपणन भी कर रहा है। नारियल का तेल बाजार हस्तक्षेप कार्य का भाग नहीं है और यह गुजरात में रसोई का वरीय साधन नहीं है।

(घ) बाजार हस्तक्षेप कार्यों के तहत राष्ट्रीय डेरी विकास बोड को जारी किए गए निदेश हैं--मूंगफली और सरसों के तेल के थोक मूल्यों को निर्धारित सीमाओं में बनाए रखने का प्रयास करना। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से किसानों के हित में बाजार मे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य फ़सल कटाई के तुरन्त बाद ही मूल्य बैंड के न्यूनतम स्तर से नीचे न जाए तथा उपभोक्ताओं के हित में भी हस्तक्षेप करें ताकि मूल्य, हल्के मौसम के दौरान मूल्य बैंड की उच्चतम सीमा को पार न कर जाएं।

Construction of 'Holiday Homes'

1157. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railways have constructed 'Holiday Homes' for its employees at various places in the country;

(b) if so, the locations of these Homes district-wise with criteria for allotment;

(c) whether some of these 'Homes' have been purchased or acquired after payment of regular monthly rents to landlords;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether these 'Homes' are allotted to non-railway employees and self-employed individuals;

(f) of so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(g) whether such 'Homes' are to be constructed/ purchased etc., at more places during the current/next year to make easy availability of these homes for railway employees?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI AJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Information regarding location of Holiday Homes is maintained Railway-wise. A statement giving the information is attahched (*See* below). The accommodation in Holiday Homes is reserved on first come first served basis with reference to date of receipt of application for such reservation.

(c) and (d) Two Holiday Homes one each at Puri and Mussoorie have been

acquired on a monthly rent of Rs. 600/- and Rs. 8005/- respectively.

(e) and (f) The Holiday Homes have been set up primarily for the benefit of Railway servants and their family members purely as a measure of Staff Welfare. However, requests for allotment of accommodation in these Homes from the employees of other Central Govt. Ministries/Departments and the Lok Sabha/ Rajya Sabha Secretariat are considered after meeting the requirement of the Railway servants, on the same charges as payable by Railway servants. For short periods accommodation in Holiday Homes can also be allotted to outsiders on payment of Rs. 500/- per day per suite but such allotment will not be made after cancelling the booking of Railway servants.

(g) Yes, Sir.

Statement

Railway-wise location of Holiday Homes as on 31-3-90

Railway	Location
Central	Mahabaleshwar, Matheran, Lonawala, Igatpuri, Pandharpur and Panchmarhi.
Eastern	Puri, Baidyanath Dham, Darjeeling and Nainital.
Northern	Srinagar, Pahalgam, Shimla, Hardwar, Baijnath-Paprola, Barog, Manali and Mussoorie.
North Eastern	Nainital, Ranikhet, Varanasi and Allahabad.
Northeast Frontier	Kurseong, Darjeeling and Shillong.
Southern	Mysore, Coonoor, Courtallam, Kaniyakumari, Rameswaram and Palani.
South Central	Colva Beach (Goa) and Tirupathi.
South Eastern	Puri, Ranchi and Darjeeling.
Western	Bandra (Bombay), Mount Abu, Paschim Vihar (Udaipur), Verawal and Golvad.
C.L.W.	Puri.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास

1158. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में 1,16,000 एकड़ भूमि को अधिगृहीत किए जाने की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें से अभी तक केवल 57,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिगृहीत भूमि का विकास करने के बाद उसे आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक व अन्य आवश्यक उपयोग के लिए आवंटित किया; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी भूमि को आवंटित किया गया है और शेष भूमि को आवंटित न किए जाने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिगृहीत की जाती है तथा आवश्यकतानुसार दिल्ली के सुनियोजित विकासार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दी जाती है।